राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर

क्रमांक/जि.र.अ.स.मा./एफपीएस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025–2026/ 950 दिनांक : 16.06.2026

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17 (1) खा. वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 एवं विभागीय पत्रांक एफ. 17(5) खा.वि./न्याय/महि. आर./ 2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 एवं क्रमांक एफ 17(4)खा. वि /न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक 4153 दिनांक 21.11.2025 के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में जिला रसद कार्यालय से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से दिनांक 30.06.2026 सांय 06:00 बजे तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति व घोषणा–पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर में जमा करवाये जा सकेगें।

सवाई माधोपुर जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क. स.	रिक्त/नवसृजित दुकान का नाम	पीओएस मशीन नं.	नवसृजित/रिक्त का विवरण	तहसील/नगरपरिषद/ नगरपालिका	आरक्षण श्रेणी
1	वार्ड नं. 05 (पुराना)	20120	रिक्त	नगरपालिका बामनवास	महिला आरक्षित
2	वार्ड नं. 19 (पुराना)	20118	रिक्त	नगरपालिका बामनवास	अनारक्षित
3	वार्ड नं. 27 (पुराना)	10187	रिक्त	नगरपरिषद गंगापुर सिटी	महिला आरक्षित
4	वार्ड नं. 35 बी (पुराना)	10359	रिक्त	नगरपरिषद गंगापुर सिटी	अनारक्षित
5	शिवाड	19822	रिक्त	चौथ का बरवाडा ग्रामीण	महिला आरक्षित
6	पिपलदा	20458	रिक्त	मित्रपुरा ग्रामीण	अनारक्षित
7	वार्ड नं. 10 ए (पुराना)	9570	रिक्त	नगरपरिषद सवाई माधोपुर	अनारक्षित
8	वार्ड नं. 34 बी (पुराना)	9889	रिक्त	नगरपरिषद सवाई माधोपुर	अनारक्षित
9	वार्ड नं. 3 बी (पुराना)	9547	रिक्त	नगरपरिषद सवाई माधोपुर	महिला आरक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं कमांक एफ 17(05)खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 एवं 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। परिपत्रों एवं दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 एवं 10.05.2025 के दिशा–निर्देशों तथा नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **www.food.rajasthan.gov.in** व कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

RajKaj Ref No.:
22862825

Signed by: RAM BHAJAN MEENA,
District Supply Officer
Date: 2026-06-16
10:45:35 +05:30

v-1

आवेदक की योग्यताएँ एवं शर्ते :—

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल कार्यालय जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर से जारी किये जायेगे, अन्य किसी स्थान तथा टाइपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रतायें निम्नानुसार होगी :—

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदनकर्ता उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान विज्ञापित है।
2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (**RKCL**) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
4. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा—स्वामित्व—किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है, तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जायेगा।
6. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
7. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा—
   - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता—पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
   - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही है।
   - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल—चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000 /— रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000/— रूपये होना आवश्यक है।

RajKaj Ref No.: 22862825

Signed by: RAM BHAJAN MEENA,
District Supply Officer
Date: 2026-06-16
10:45:35 +05:30

9. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आकलन के निम्न आधार होंगे।

- समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
- समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
- समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।

10. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देदशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, मान्य होंगी। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया हैं, वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी। विभागीय आदेश दिनांक 26.12.2019 अनुसार समिति, जो कि सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/–रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ओडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नही है।

12. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वय सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

13. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

14. सभी रिक्त/नवसृजित दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं है।

जिला रसद अधिकारी
सवाई माधोपुर

कमांक/जि.र.अ.स.मा./एफपीएस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025–2026/951-992 दिनांक : 16.06.2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1 श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3 श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र टोक–सवाई माधोपुर
5 माननीय विधायक महोदय, समस्त, जिला सवाई माधोपुर
6 ए.सी.पी. खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट **food-raj-nic-in** पर अपलोड कराने हेतु ।
7 उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला सवाई माधोपुर
8 तहसीलदार, समस्त जिला सवाई माधोपुर
9 समस्त, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद्/नगरपालिका, जिला सवाई माधोपुर
10 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला सवाई माधोपुर
11 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
12 नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13 रक्षित पत्रावली ।

जिला रसद अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signed by: RAM BHAJAN MEENA,
District Supply Officer
Date: 2026-06-16
10:45:35 +05:30

RajKaj Ref No.: 22862825

v-1